कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/शाला दर्शन/ए/19402/5वीं परीक्षा/2016/510 दिनांकः– 6/1/17

1–उपनिदेशक
प्रारंभिक शिक्षा समस्त

2–प्रधानाचार्य
समस्त डाईट

3– जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा समस्त

4– निदेशक
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान
जयपुर

5– सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

विषयः– जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017 एवं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा–2017 के संबंध में दिशा–निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017 एवं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा–2017 के संबंध में दिनांक 04.01.2017 को विशिष्ट शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक का बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

इसके अलावा जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017 हेतु S.I.E.R.T. द्वारा तैयार ग्रेडिंग युक्त प्रमाण–पत्र प्रारूप, मूल्यांकन पत्रक/प्रश्न–पत्र निर्माण हेतु दिशा–निर्देश एवं मूल्यांकन प्रपत्र का नमूना प्रारूप भी पत्र के संलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है।

अतः उक्त परीक्षाओं के आयोजन के क्रम में उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/शाला दर्शन/ए/19402/5वीं परीक्षा/2016/510 दिनांकः– 6/1/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– निजी सचिव,शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

2– आयुक्त, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।

3– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न बैठक कार्यवाही विवरण, ग्रेडिंग युक्त प्रमाण–पत्र का प्रारूप, मूल्यांकन पत्रक के निर्माण हेतु सामान्य दिशा–निर्देश एवं मूल्यांकन परिणाम पत्रक का प्रारूप विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।

4– निजी सचिव, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।

5– निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि एन.आई.सी. जयपुर से समन्वयन कर शाला दर्शन पोर्टल पर उक्तानुसार मॉड्यूल जुडवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

6– प्रमुख सूचना प्रणाली विश्लेषक, एन.आई.सी.केन्द्र, जयपुर ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांकः प. 17(17)प्राशि/2015 जयपुर दिनांकः – 4 JAN 2017

बैठक कार्यवाही विवरण :–

शैक्षणिक सत्र 2016–17 में कक्षा 5वीं एवं 8वीं के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर मूल्यांकन हेतु आयोजित की जाने वाली **"जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017"** एवं **"प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा–2017"** के आयोजन के सम्बन्ध में अनुभूत की जा रही विभिन्न कठिनाईयों/समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु **दिनांक 03.01.2017 को विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक** बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारीगणों की सूची परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये जाकर उनकी पालना/क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदारी नियत की गई :–

क्र. सं.	चर्चा हेतु बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही/क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार अधिकारी/प्राधिकारी
1	2	3	4
1.	"जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017" हेतु मदरसा में अध्ययनरत छात्रों के सम्बन्ध में शुल्क लिये जाने बाबत।	सचिव,राजस्थान मदरसा बोर्ड के पत्रांकः 5605 दिनांक 29.12.16 से प्राप्त सूचना अनुसार राजस्थान में संचालित मदरसे निजी मदरसों के रूप में संचालित किये जाते है। बोर्ड केवल इनका पंजीयन कर उन्हे राजकीय अनुदान उपलब्ध करवाता है। अतः मदरसों में अध्ययनरत 5वीं कक्षा के छात्रों के सम्बन्ध में "जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017" हेतु परीक्षा व्यवस्थार्थ शुल्क गैर सरकारी विद्यालयों की भांति ही लिया जायेगा। शुल्क वसूली का कार्य संबंधित डाईट द्वारा किया जावे।	• सम्बन्धित डाईट • सम्बन्धित मदरसा/शाला प्रधान
2.	गैर सरकारी विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों एवं मदरसों के कक्षा–5 में अध्ययनरत छात्रों के "जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017" हेतु आवेदन–पत्र भरवाने बाबत।	गैर सरकारी विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों एवं मदरसों के कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्रों के "जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017" हेतु आवेदन–पत्र मैन्युअल भरे जाएंगे एवं इनकी समेकित संख्यात्मक सूचना सम्बन्धित डाईट के स्तर पर संधारित की जायेगी। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के तत्काल बाद डाईट द्वारा निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा को राजकीय विद्यालयों तथा अन्य विद्यालयों से "जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017" हेतु आवेदित छात्रों की सूचना निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित की जायेगी।	• सम्बन्धित डाईट

www.rajteachers.com

क्र. सं.	चर्चा हेतु बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही / क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार अधिकारी / प्राधिकारी
1.	2.	3.	4.
3.	ग्रेडिंग युक्त प्रमाण–पत्र का प्रारूप तथा परीक्षा परिणाम का शाला दर्शन एव शाला दर्पण पोर्टल पर एन.आई.सी. स्तर से माड्यूल तैयार करने के सम्बन्ध में।	राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (एसआईईआरटी), उदयपुर द्वारा "जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017" में भाग लेने वाले छात्रों को दिये जाने वाले ग्रेडिंग युक्त प्रमाण–पत्र का प्रारूप तैयार कर उपलब्ध कराया गया, जिसके अनुरूप ही डाईट द्वारा ग्रेडिंग युक्त प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा। इस मूल्यांकन के परिणामों की शाला दर्शन एवं शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि हेतु एक प्रारूप तैयार कर एसआईईआरटी, उदयपुर द्वारा एन. आई.सी. को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर एन. आई.सी. स्तर से शाला दर्शन एवं शाला दर्पण पोर्टल पर मोड्यूल तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।	• निदेशक, एसआईईआरटी • प्रमुख प्रणाली विश्लेषक,
4.	नामांक (Roll No.) आवंटन बाबत।	"जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017" हेतु नामांक आवंटन हेतु RDDXXXXX प्रक्रिया अपनाई जायेगी। अर्थात् सर्वप्रथम जिले के सभी ब्लॉक्स को अंग्रेजी के अल्फाबेटिक क्रम में रखते हुए प्रथम ब्लॉक के प्रथमतः राजकीय विद्यालयों तथा उसके बाद अन्य विद्यालयों के छात्रों को नामांक आवंटित किये जायेंगे। इन नामांक में प्रथम अंक के स्थान पर R इसके पश्चात के दो अंक जिले के डाईस कोड एवं इसके पश्चात पहला नामांक 00001 से शुरू होकर एक ब्लॉक के सभी छात्रों को नामांक इस तरह से आवंटित किये जायेंगे कि एक विद्यालय के नामांक एक साथ आ जावें। इसी की निरन्तरता में अन्य ब्लॉक्स के विद्यालयों के छात्रों को नामांक आवंटित किये जावें। उदाहरण:– प्रथम ब्लॉक में कुल 3500 छात्रों ने आवेदन किया है तथा माना कि जिले के डाईस के दो अंक 32 है तो प्रथम ब्लॉक के अन्तिम विद्यालय के अन्तिम छात्र का नामांक निम्नानुसार होगा :– R3203500 तथा अगले ब्लॉक का नामांक R3203501 से प्रारम्भ होगा।	• सम्बन्धित डाईट
5.	प्रधानाचार्य, डाईट एवं अन्य स्तर से अनुभूत कठिनाई / समस्याओं / असमंजस के निराकरण बाबत।	एन.आई.सी. को मूल्यांकन परिणाम प्रपत्र का प्रारूप उपलब्ध होने पर एन.आई.सी. स्तर से उक्तानुसार मूल्यांकन परिणाम मोड्यूल आगामी दो दिवस में तैयार करने के पश्चात एन.आई. सी. एवं निदेशालय द्वारा समस्त प्रधानाचार्य, डाईट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके द्वारा अनुभूत की जा रही समस्याओं का समाधान किया जाएगा।	• निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा • निदेशक, एसआईईआरटी • प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एन.आई. सी., जयपुर
6.	जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017 के सम्बन्ध में आदेश–निर्देश जारी कराने हेतु एक ही ऑथोरिटी के निर्धारण बाबत।	"जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017" के सम्बन्ध में समस्त आदेश–निर्देश प्रदेश स्तर के नोडल अधिकारी, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के स्तर से ही जारी किये जायेंगे।	• निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा

www.rajteachers.com

क्र. सं.	चर्चा हेतु बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही / क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार अधिकारी / प्राधिकारी
1	2	3	4
7.	शाला दर्शन एवं शाला दर्पण पोर्टल पर स्कूल लॉगइन / बीईईओ लॉगइन में उपलब्ध प्रोग्राम के सम्बन्ध में।	शाला दर्पण एवं शाला दर्शन पोर्टल पर निम्नांकित प्रोग्राम स्कूल लॉगइन / बीईईओ लॉगइन में उपलब्ध होंगे :– 1. विद्यार्थीवार आवेदन पत्र डाउनलोड 2. "जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017" में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की समेकित सूची	• एन.आई.सी., जयपुर • प्रभारी, शाला दर्शन पोर्टल • प्रभारी, शाला दर्पण पोर्टल
8.	शाला दर्पण एवं शाला दर्शन पोर्टल पर डाईट लॉगइन में उपलब्ध प्रोग्राम के सम्बन्ध में।	शाला दर्पण एवं शाला दर्शन पोर्टल पर डाईट लॉगइन में निम्नांकित प्रोग्राम उपलब्ध होंगे:– 1. विद्यालयवार आवेदित छात्रों की सूची, मिलान करने एवं रोल नं. आवंटित करने हेतु। 2. जिलावार एक्सेल डाटा शीट डाउनलोड 3. विद्यालय / छात्र वार परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि	• एन.आई.सी., जयपुर • प्रभारी, शाला दर्शन पोर्टल • प्रभारी, शाला दर्पण पोर्टल
9.	निजी विद्यालयों / मदरसा आदि के छात्रों की सूची / नामांक आदि के सम्बन्ध में ।	निजी विद्यालयों / मदरसा आदि के छात्रों की सूची संबंधित डाईट के स्तर से इन्द्राज की जायेगी, जिसके लिए शाला दर्पण एवं शाला दर्शन पोर्टल पर कोई लिंक उपलब्ध नहीं होगा। उक्त मूल्यांकन व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त गतिविधियां सम्पादित होने के पश्चात राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का अन्तिम परिणाम सम्बन्धित डाइट द्वारा शाला दर्शन एवं शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा।	• सम्बन्धित डाईट
10	ग्रेडिंग युक्त प्रमाण–पत्र तैयार कर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	सम्बन्धित डाईट के स्तर से ही समस्त विद्यालयों के छात्रों के लिए ग्रेडिंग युक्त प्रमाण–पत्र प्रिंट किये जाकर सम्बन्धित बीईईओ को विद्यालयवार वितरण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।	• सम्बन्धित डाईट • सम्बन्धित बीईईओ कार्यालय • शाला प्रधान
11	मूल्यांकन पत्रक / प्रश्न पत्र के निर्माण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश बाबत।	मूल्यांकन पत्रक / प्रश्न–पत्र निर्माण हेतु एसआईईआरटी, उदयपुर द्वारा तैयार सामान्य दिशा–निर्देश के अनुसार सम्बन्धित डाईट द्वारा मूल्यांकन पत्रक तैयार किये जायेंगे।	• एसआईईआरटी, उदयपुर • संबंधित डाईट
12	5वीं एवं 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु क्रमशः जिला स्तरीय एवं प्रदेश स्तरीय मूल्यांकन व्यवस्था हेतु प्रोग्राम / मोड्यूल की उपलब्धता के सम्बन्ध में।	5वीं एवं 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु आयोजित की जाने वाली "जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन–2017 एवं "प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण–पत्र परीक्षा–2017" के सम्बन्ध में अपेक्षित प्रोग्राम / मोड्यूल एनआईसी द्वारा शाला दर्शन एवं शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध कराये जायेंगे। इस हेतु यदि किसी प्रपत्र की आवश्यकता हो तो एन.आई.सी. द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा से पत्र व्यवहार कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।	• प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, • प्रभारी, शाला दर्शन पोर्टल • प्रभारी शाला दर्पण पोर्टल

बैठक में लिये गये उक्त निर्णयानुसार क्रियान्विति हेतु निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर पृथक से दिशा–निर्देश जारी कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें एवं कलेण्डर अनुसार पाक्षिक रूप से अवगति की समीक्षा करें।

संलग्न: 1.ग्रेडिंग युक्त प्रमाण–पत्र का प्रारूप।
2.मूल्यांकन पत्रक के निर्माण हेतु सामान्य दिशा–निर्देश।
3.मूल्यांकन परिणाम पत्रक का प्रारूप।

5/1/2017

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

www.rajteachers.com

प्रमाण पत्र क्रमांक.....

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन

ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र 2017

विद्यालय का नाम .....

विद्यालय प्रवेशांक	नामांक	ब्लॉक	जिला	विद्यालय डायस कोड

❖ (निजी विद्यालय की स्थिति में मान्यता कमांक.....)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .....माता श्रीमती.....
पिता श्री.....जन्म तिथि (अंकों में) ...../...../..... (शब्दों में) .....
..... ने सत्र 2016–17 में निम्नानुसार प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर प्राप्त किया है–

क्र.सं.	विषय एवं आकलन सूचक	समेकित ग्रेड (सैद्धान्तिक + सत्रांक के आधार पर)
1.	**हिन्दी** (पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना (गद्य एवं पद्य), व्यावहारिक व्याकरण, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, परिवेशीय सजगता)	
2.	**अंग्रेजी** (Lexical items, Structural items, Reading comprehension, Writing)	
3.	**गणित** (आकृति व स्थान की समझ, संख्या ज्ञान की समझ, संक्रियाओं की समझ, मापन की समझ, आंकडों का प्रबन्धन व पैटर्न की समझ)	
4.	**पर्यावरण अध्ययन** (अवलोकन व दर्ज करना, सम्प्रेषण कौशल (अभिव्यक्ति/चर्चा), वर्गीकरण करना, व्याख्या/विश्लेषण करना , प्रश्न करना, प्रयोग करना, न्याय व समता के प्रति सरोकार, एक–दूसरे के कार्यों का सम्मान व गुणों की प्रशंसा करना)	
5	**संस्कृत** (संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों हेतु)	
	औसत ग्रेड	
6.	**कला शिक्षा**	
7.	**कार्यानुभव**	
8.	**स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा**	

स्थान :– .....

दिनांक :– .....

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय सील

www.rajteachers.com

विशेष विवरण

1. विद्यार्थी को 20 प्रतिशत आंतरिक (सत्रांक) एवं 80 प्रतिशत बाह्य मूल्यांकन (सैद्धान्तिक) के आधार पर विषयवार समेकित ग्रेड दी गई है।
2. समेकित ग्रेड का श्रेणीकरण 5 पोईन्ट स्केल के आधार पर निम्नानुसार किया गया है–

ग्रेड	A+	A	B	C	D
अंक निर्धारण	91–100	76–90	61–75	41–60	0–40

3. कला शिक्षा, कार्यानुभव एवं स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषय के लिए विद्यालय स्तर पर शैक्षिक कार्य एवं गतिविधियों के सतत आकलन के आधार पर उक्त 5 पोईन्ट स्केल पर आधारित ग्रेड दी गई है।
4. इस मूल्यांकन व्यवस्था में कृपांक का प्रावधान नहीं है।
5. आर.टी.ई. 2009 के तहत विद्यार्थी को विद्यालय में नियमित शिक्षण करना है अतः इस परीक्षा में स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
6. इस मूल्यांकन में पुर्नमूल्यांकन की व्यवस्था का प्रावधान नहीं रखा गया है। लेकिन पुर्नगणना का प्रावधान है।

www.rajteachers.com

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
शिक्षाक्रम एवं मूल्यांकन विभाग

कक्षा 5 के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन सत्र 2016–17

मूल्यांकन पत्रक/प्रश्न पत्र के निर्माण हेतु सामान्य दिशा–निर्देशः–

1. प्रत्येक मूल्यांकन पत्रक/प्रश्न पत्र का समय 2.30 घन्टे रखा गया है तथा पूर्णांक 80 अंक निर्धारित किया गया है।
2. मूल्यांकन पत्रक/प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 22 से 23 तक रखा जाना सुनिश्चित किया गया है।
3. विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए अलग से उत्तर पुस्तिकाएं नहीं दी जाएगी। प्रश्न–पत्र में ही उत्तर हेतु प्रश्नों के हल/उत्तर लिखने हेतु वांछित स्थान रखा गया हैं।
4. मूल्यांकन पत्रक का निर्माण कक्षा 5 के लिए राज्य द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्य–पुस्तकों एवं विषयवार अधिगम क्षेत्र व शैक्षिक उद्देश्य को सम्मिलित करते हुए (सड़क सुरक्षा के संबंधित अध्ययन सहित) के आधार पर किया जाना है।
5. एन.सी.एफ. 2005 एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में आए नवीनतम बदलाव को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष से संशोधित ब्लूम्स टैक्सॉनमि 2001 (एण्डरसन एवं क्रोथ्वोल) के आधार पर प्रत्येक विषय (हिन्दी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण अध्ययन) से संबंधित निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों एवं अधिगम सूचकों को ध्यान में रखते हुए नीलपत्र (ब्ल्यूप्रिंट) तैयार किए गए हैं। जिसके आधार पर प्रश्न–पत्र/मूल्यांकन पत्रक का निर्माण किया जाना है।
6. जानकारी का स्मरण करना, एवं समझना आयाम के साथ–साथ नील पत्र (ब्ल्यूप्रिंट) को तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया गया है कि संज्ञानात्मक उच्च श्रेणियों जैसे–अनुप्रयोग करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकित करना, सृजन करना, कौशल आदि को समुचित अधिभार दिया जाए इसलिए मूल्यांकन पत्रक/प्रश्न पत्र के निर्माण के दौरान यह बात ध्यान रखी जाए कि उच्चतर पाठ्यक्रमणीय कौशलों से संबंधित प्रश्न आवश्यक रूप से अधिभार के अनुरूप सम्मिलित हो।
7. प्रश्न–पत्र में ब्ल्यू प्रिंट के अनुसार प्रश्नों को सम्मिलित किया जाए जैसे– बहुवैकल्पिक, अतिलघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, निबन्धात्मक।
8. मूल्यांकन पत्रक/प्रश्न पत्र निर्माण पाठ्यक्रम व शैक्षिक उद्देश्यों आधारित किया जाना है पाठ्यपुस्तक सहायक साधन के रूप में है तथा बच्चों में पाठ्यक्रम से अपेक्षित दक्षताओं को देखा जाना सुनिश्चित किया गया है। यहाँ यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि प्रश्न इस प्रकार के हो जो बच्चों की दक्षताओं का आकलन करने में मदद करें ना कि सिर्फ उनकी रटने की क्षमता या याद रखने की क्षमता का आकलन करें। प्रश्न ऐसे हो जिससे यह आकलित किया जा सके कि छात्र/छात्रा ने पाठ्यक्रम में वर्णित कौशलो को प्राप्त किया है।
9. प्रश्न इस प्रकार के हो जो छात्र/छात्राओं को सोच–समझकर अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके उत्तर देने के लिए प्रेरित करें और अवसर भी दें।
10. सोच–समझकर उत्तर देने वाले प्रश्न–पत्र बनाने के लिए यदि चित्र या रेखाकन किया जाना आवश्यक है तो उस प्रश्न के साथ ही अवश्य बनाएं। यह ध्यान रखें कि प्रश्नों को समझकर अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर उत्तर देने के अवसर विद्यार्थियों को प्राप्त होने चाहिए।
11. मूल्यांकन पत्रक/प्रश्न पत्र निर्माण में सड़क–सुरक्षा को भी 4 अंक दिए गए है। सभी विषयों में इसके तहत निर्धारित दक्षताओं के साथ इसे जाँचा जाना तय किया गया है।
12. प्रश्न–पत्र के किसी एक प्रश्न में विषय की प्रकृति के अनुसार ब्ल्यू प्रिंट के आधार पर एक से अधिक शैक्षिक उद्देश्यों को सम्मिलित किया जा सकता है।
13. सभी विषयों की प्रकृति के अनुसार नवीन नीलपत्रों के आधार पर प्रश्न–पत्रों का निर्माण किया जाए। एण्डरसन एवं क्रोथ्वोल द्वारा संशोधित टैक्सॉनमि के आधार पर निर्धारित उद्देश्य इस प्रकार है–

हिन्दी	गणित	अंग्रेजी	पर्यावरण अध्ययन
जानकारी/स्मरण करना	जानकारी/स्मरण करना	जानकारी/स्मरण करना	जानकारी/स्मरण करना
समझना	समझना	समझना	समझना
अनुप्रयोग करना	अनुप्रयोग करना	अनुप्रयोग करना	अनुप्रयोग करना
विश्लेषण करना	विश्लेषण करना	सृजन करना	विश्लेषण करना

www.rajteachers.com

मूल्यांकित करना	मूल्यांकित करना		मूल्यांकित करना
सृजन करना	सृजन करना		सृजन करना
			कौशल / प्रयोग करना (रचना)

विषयवार विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु आंकलन के सूचक निम्नलिखित सूचकों का निर्धारण किया गया है–

हिन्दी	गणित	अंग्रेजी	पर्यावरण अध्ययन	संस्कृत
(पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना (गद्य एवं पद्य), व्यावहारिक व्याकरण, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, परिवेशीय सजगता)	(आकृति व स्थान की समझ, संख्या ज्ञान की समझ, संक्रियाओं की समझ, मापन की समझ, आकड़ों का प्रबन्धन व पैटर्न की समझ)	(Lexical items, Structural items, Reading comprehension, Writing)	(अवलोकन व दर्ज करना, सम्प्रेषण कौशल (अभिव्यक्ति / चर्चा), वर्गीकरण करना, व्याख्या / विश्लेषण करना , प्रश्न करना, प्रयोग करना, न्याय व समता के प्रति सरोकार, एक–दूसरे के कार्यों का सम्मान व गुणों की प्रशंसा करना)	(संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों हेतु) (पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना (गद्य), पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना (पद्य), व्यावहारिक व्याकरण, सृजनात्मक अभिव्यक्ति

14. पर्यावरण अध्ययन में नीलपत्र तथा मूल्यांकन पत्रक / प्रश्न पत्र का निर्माण संशोधित टेक्सॉनमि के साथ–साथ उपर्युक्त सूचकों के आधार पर भी किया जाना है अर्थात् प्रत्येक प्रश्न किसी एक शैक्षिक उद्देश्य तथा किसी अधिगम सूचक से संबंधित होना चाहिए। इसलिए पर्यावरण अध्ययन के नीलपत्र को विस्तृत रूप से तैयार किया गया है जिनमें से एक विषयवस्तु एवं शैक्षिक उद्देश्यों और दूसरा विषयवस्तु एवं अधिगम सूचकों पर आधारित है।
15. प्रश्न–पत्र में प्रत्येक आकलन सूचक से संबंधित प्रश्न एक ही समूह में दिए जाने है। प्रत्येक मूल्यांकन पत्रक / प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार के प्रश्न (वस्तुनिष्ठ, अतिलघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक तथा निबन्धात्मक) सम्मिलित किए जाने हैं। प्रत्येक अधिगम सूचक को शीर्षक भी दिया जाना है। इससे सूचक के अनुसार प्राप्तांकों की गणना कर नियमानुसार ग्रेड निर्धारण किया जा सके।
16. मूल्यांकन पत्रक / प्रश्न पत्र के प्रथम पृष्ठ पर ग्रेड लिस्ट दी गयी है जिसमें अधिगम सूचकों का अंकभार अंकित कर अन्त में योग होगा। इसके साथ ही निर्धारित कॉलम में संबंधित अधिगम सूचक में प्राप्त अंक व ग्रेड दर्ज हेतु निर्धारित कॉलम में किया जाएगा। यह ग्रेड विभाग द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार दिये जाएगें।
17. ग्रेड का निर्धारण 5 पौइन्ट स्केल के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा।

ग्रेड का निर्धारण

A+	A	B	C	D
91-100	76-90	61-75	41-60	0-40

18 मूल्यांकन पत्रक / प्रश्न पत्र के अंत में पर्याप्त रिक्त स्थान रखा जाए ताकि प्रश्न का उत्तर गलत होने / अधूरा रहने की स्थिति में उस रिक्त स्थान (Blank Space) का उपयोग किया जा सके।

www.rajteachers.com

प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2016-17

मूल्यांकन पत्रक

विद्यालय का डाइस कोड.............. नाम विद्यालय.............. मोडल केन्द्र.............. ब्लॉक.............. जिला.............. (राजस्थान)

क्र.सं.	नामांक/ प्रवेशांक	जन्म दिनांक	नाम परीक्षार्थी / पिता का नाम/ माता का नाम/ जन्म दिनांक	हिन्दी								अंग्रेजी								गणित									पर्यावरण अध्ययन												संस्कृत							महायोग	समेकित ग्रेड
				सत्रांक	सैद्धान्तिक					विषय योग	ग्रेड	सत्रांक	सैद्धान्तिक					विषय योग	ग्रेड	सत्रांक	सैद्धान्तिक						विषय योग	ग्रेड	सत्रांक	सैद्धान्तिक									विषय योग	ग्रेड	सत्रांक	सैद्धान्तिक				विषय योग	ग्रेड		
					1	2	3	4	योग				1	2	3	4	योग				1	2	3	4	5	योग				1	2	3	4	5	6	7	8	योग				1	2	3	योग				
				20					80	100		20					80	100		20						80	100		20									80	100		20				80	100		400 / 500	
1																																																	
2																																																	
3																																																	
4																																																	
5																																																	
6																																																	
7																																																	
8																																																	
9																																																	
10																																																	

विषय नामांक		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कार्यानुभव	पूर्णांक	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	प्राप्तांक										
	ग्रेड										
कला शिक्षा	पूर्णांक	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	प्राप्तांक										
	ग्रेड										
स्वा. एवं शारी. शिक्षा	पूर्णांक	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	प्राप्तांक										
	ग्रेड										

ग्रेड (सभी विषय)	
A+	91-100
A	76-90
B	61-75
C	41-60
D	0-40

नोट- कार्यानुभव, कला शिक्षा व स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ही कर ग्रेड अंकित करनी है।

प्रभारी
मूल्यांकन केन्द्र

केन्द्राधीक्षक
मूल्यांकन केन्द्र

मूल्यांकन पत्रक अनुमोदित किया जाता है।

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
ब्लॉक..............
जिला..............
(राजस्थान)

नोट- संस्कृत विषय केवल संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों के लिए लागू एवं विषयों के कॉलम में क्रमांक 1,2,3,4,5,6,7,8 आकलन सूचक हैं, जो विषयवार निम्नानुसार हैं-

हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	पर्यावरण अध्ययन	संस्कृत
1. पढना, पढकर समझना और लिखना 2. व्यावहारिक व्याकरण 3. सृजनात्मक अभिव्यक्ति 4. परिवेशीय सजगता	1. Lexical items 2. Structural items 3. Reading Comprehension 4. Writing	1. आकृति व स्थान की समझ 2. संख्या ज्ञान की समझ 3. संक्रियाओं की समझ 4. मापन की समझ 5. आँकड़ों का प्रबंधन व पैटर्न की समझ	1. अवलोकन व दर्ज करना 2. सम्प्रेषण कौशल 3. वर्गीकरण करना 4. व्याख्या/विश्लेषण करना 5. प्रश्न करना 6. प्रयोग करना 7. न्याय व समता के प्रति सरोकार 8. एक-दूसरे के कार्यों का सम्मान व गुणों की प्रशंसा करना	1. पढ़कर समझना और लिखना 2. व्यावहारिक व्याकरण 3. सृजनात्मक अभिव्यक्ति

www.rajteachers.com